फर्द अहकाम

रामसुखदास वगैरह **बनाम** हनुमान व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 26/2013

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
13/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण गत निरंतर अनेकों तारीख पेशियों से मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहते हुए आज भी अनुपस्थित है अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अधिवक्ता वादी की बहस तहसीलदार रिपोर्ट पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश / निर्णय दिनांक 21/01/25 को पेश हो। ह०/ सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
21/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। बहस तहसीलदार रिपोर्ट के तथ्यों पर मनन किया। चूंकि प्रकरणाधीन अतिक्रमित विवादग्रस्त भूमि खा.नं. 860 रकबा 0.08 है. हाल राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण के अपेक्षित अनुपात अनुसार ख.नं. 860/2 रकबा 0.04 है. किस्म गै.मु. श्मशान के रूप में वादी के नाम दर्ज की जा चुकी है। जिसके क्रम/संदर्भ में कोई अग्रिम कार्यवाही/उज्र आपत्ति अथवा कोई मान्य खंडन/प्रतिरोध वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जाकर वादीपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी [illegible] की गई है [illegible] औचित्य नहीं [illegible] ख्वाव कार्यवाही [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल है। ह०/ सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर P.T.O.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:32 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

रामप्रकाश बनाम हनुमान व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 26/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/01/25	पत्रावली पेश शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 26/2013 **निर्णय दिनांक : 21.01.2025**

1. रामसुखदास पुत्र भूरादास
2. दीनदयालदास पुत्र रामस्वरूपदास
3. भगवानदास पुत्र चौखादास
4. गोविन्ददास पुत्र लक्ष्मणदास
5. रामदास पुत्र भोगुदास

समस्त जाति स्वामी समस्त निवासी ग्राम कोटडी दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र देवीनारायण
2. मु. लाडा बेवा मुरली
3. कालूराम पुत्र मुरली
4. कमलेश पुत्र मुरली
5. सोहनलाल पुत्र मुरली
6. राधेश्याम पुत्र कजोड
7. लल्लू पुत्र रूडा नाबालिक संरक्षक माता गैंदी

समस्त जातियान बागडा बाह्म्ण निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रकरणाधीन उल्लेखित वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 860 रकबा 0.08 है. हाल राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण के अपेक्षित अनुतोष अनुसार ख.नं. 860/2 रकबा 0.04 है. किस्म गै.मु.श्मशान के रूप में वादी के नाम दर्ज की जा चुकी है। जिसके क्रम/संदर्भ में कोई अग्रिम कार्यवाही/उज्र आपत्ति अथवा कोई मान्य खंडन/प्रतिरोध वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जाकर वादी पक्ष अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकारोक्ति व्यक्त की गई है। जिससे वाद पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने से वाद वादीगण अब सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.01.2025 को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा मुख्यालय-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			[illegible]		
स्टाम्प वह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकील			महन्ताना [illegible]ल		
खर्चा गवाहान			खर्चा [illegible]		
फीस कमिश्नर			फीस [illegible]श्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत [illegible]राय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफ[illegible]		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर
वाद संख्या : 26 / 2013
निर्णय दिनांक : 21.01.2025

1. रामसुखदास पुत्र भूरादास
2. दीनदयालदास पुत्र रामस्वरूपदास
3. भगवानदास पुत्र चौखादास
4. गोविन्ददास पुत्र लक्ष्मणदास
5. रामदास पुत्र भोगुदास

समस्त जाति स्वामी समस्त निवासी ग्राम कोटडी दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र देवीनारायण
2. मु. लाडा बेवा मुरली
3. कालूराम पुत्र मुरली
4. कमलेश पुत्र मुरली
5. सोहनलाल पुत्र मुरली
6. राधेश्याम पुत्र कजोड
7. लल्लू पुत्र रूडा नाबालिक संरक्षक माता गैंदी

समस्त जातियान बागडा बाह्म्ण निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा

निर्णय

वादीगण की ओर से वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 860 रकबा 0.08 है. किस्म गै.मु.श्मशान के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि पर लगभग 250 वर्षों से दादूपंथ सम्प्रदाय के साधु संतों की समाधियाँ बनी हुई है तथा पूर्व से ही दादूपंथ सम्प्रदाय के साधु स्वामीयों के दाह संस्कार किये जाते रहे है। उक्त वर्णित भूमि (खसरा नंबर) पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय खाते में दर्ज अंकित भूमि थी। जिसे वर्तमान बंदोबस्त में प्रतिवादीगण के नाम अविधिक रूप से दर्ज अंकित कर दिया गया है जबकि उक्त भूमि प्रतिवादीगण की निजी सम्पत्ति नहीं है ना ही भूमि प्रतिवादीगण के नाम पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज रही है ना ही प्रतिवादीगण का कब्जा भी पूर्व में कभी रहा है तथा वर्तमान में भी नहीं है अपितु भूमि दादू पंथ सम्प्रदाय की सम्पत्ति है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय खाते में गै.मु.श्मशान व समाधि दादू पंथ दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। जिससे दूर अन्देशा दखलंदाजी उत्पन्न होने व पूर्व रिकॉर्ड एवं मौका अनुकार रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने हेतु वाद कारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। अतः वाद वादीगण स्वीकार/डिक्री किया जाकर वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 860 रकबा 0.08 है. किस्म गै.मु.श्मशान वाके ग्राम दौलतपुरा के संदर्भ में राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान [illegible] निरस्त करते हुए दादूपंथ के नाम राजकीय खाते में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त उल्लेखित भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत ना करें।

वादीगण की ओर से [illegible] संदर्भ/समर्थन में जमाबंदी संवत 2056—2059 वाके ग्राम दौलतपुरा की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 860 रकबा 0.08 है. किस्म गै.मु.श्मशान के रूप में प्रतिवादीगण 01 ता 07 के नाम दर्ज अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वाद पत्र में वर्णित तथ्यो का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा जवाब वादपत्र में अभिकथन किया गया है कि वाद पत्र के अंतर्गत उल्लेखित ख.नं. 860 में दादूपंथ समुदाय के साधु संतों की कोई समाधियाँ बनी हुई नहीं है। अपितु ख.नं. 860 पुरातन काल से प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज अंकित रहा है तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज उक्त भूमि (ख.नं. 860) पर काबिज होकर काश्त करते रहे है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में भूमि की किस्म गै.मु.श्मशान गलत अंकित कर दी गई है। उक्त गलत अंकित ईन्द्राज (किस्म गै.मु.श्मशान) की जानकारी मिन प्रतिवादीगण को वादीगण द्वारा वाद दायरी किए जाने पर प्राप्त हुई है जबकि भूमि पूर्व से ही निरन्तर मिन प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है। जिस पर दादूपंथ सम्प्रदाय के लोगो का कोई दाह संस्कार नहीं किया जाता है, अपितु दादूपंथ सम्प्रदाय के श्मशान ग्राम दौलतपुरा व ग्राम कोटडा में अन्यंत्र स्थान पर बने हुए है। वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कभी राजकीय खाते में दर्ज/अंकित नहीं रही है बल्कि प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी में दर्ज रही है जो सहवन से गै.मु.श्मशान के रूप में गलत अंकित कर दी गई है। इस प्रकार भूमि दादूपंथ सम्प्रदाय की सम्पत्ति नही है, ना ही राजकीय खाते में गैर मुमकिन श्मशान, समाधि दादूपंथ दर्ज किया जा सकता है क्योंकि दादूपंथ सम्प्रदाय के समाधि स्थल ग्राम में ही अन्यंत्र स्थापित है। उक्त भूमि पूर्वजो के काल से ही प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अंकित रही है। वादी सं. 1 पूर्व से ही निरन्तर ग्राम का प्रबद्ध व प्रभावशाली तथा दादूपंथ सम्प्रदाय का व्यक्ति रहा है तथा अपने प्रभुत्व व प्रभाव के कारण ही उक्त वादी द्वारा मिन प्रतिवादीगण के पूर्वजो के कब्जा काश्त व खातेदारिता की भूमि (ख.नं. 860) को उनकी जानकारी के अभाव में ही गै.मु.श्मशान के रूप में ईन्द्राज करवा लिया तथा अपने प्रभाव व दबाव में कराये गए। उक्त गलत ईन्द्राज को पुख्ता करवाने के उद्देश्य से हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि वादीगण के पास ख.नं. 828/1485 रकबा 0.10 है. ख.नं. 892 रकबा 0.06 है. के रूप में ग्राम दौलतपुरा में 2 जगहो पर गै.मु.श्मशान के रूप में पर्याप्त भूमि दर्ज अंकित है तथा ग्राम कोटडा में ख.नं. 823 रकबा 0.01 है. किस्म गै.मु.छतरी के रूप में/समाधि स्थल के रूप में भूमि दर्ज अंकित है। अतः वादीगण विवादित आराजी ख.नं. 860 रकबा 0.08 है. को दादूपंथ राजकीय रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी नहीं है, ना ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वाद पत्र के समर्थन/संदर्भ में जमाबंदी संवत 2057–2060 वाके ग्राम कोटडा खाता सं 85 जमाबंदी संवत 2060–2063 वाके ग्राम दौलतपुरा, खाता सं 97, 162 जमाबंदी संवत 2060–2063 वाके ग्राम दौलतपुरा, जमाबंदी संवत 2019–2022 वाके ग्राम दौलतपुरा, जमाबंदी 2056–2059, खाता सं 93 वाके ग्राम दौलतपुरा व मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध की सत्यापित प्रतियाँ पेश की गई है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:–

1. आया वादीगण भूमि विवादग्रस्त को गैर मुमकिन श्मशान वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर दादूपेश राजकीय खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

   –वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

   –वादीगण

3. आया भूमि विवादग्रस्त संवत 1956 में प्र[illegible] पुश्तैनी खातेदारी के भूमि ख.नं. 860 को गैर मुमकिन [illegible] वाद खारिज योग्य है।

   –प्रतिवादी

4. आया वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

   –प्रतिवादी

5. अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:32 IST
Reason: SelfAttested

अग्रिम कार्यवाही के नियत रहते प्रार्थी वादी की ओर से प्रा.पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 07 बाबत विषय वस्तु ख.नं. 860 के संदर्भ में मौका रिपोर्ट मंगाए जाने के प्रस्तुत किया जाने पर, उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई की जाकर तहसीलदार आमेर की ओर से विस्तृत

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिसके क्रम में तहसीलदार आमेर की ओर से दिनांक 23.09.2020 को मौका रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर बहस हेतु निरन्तर अनुपस्थित रहने पर दिनांक 13.01.2025 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए तथा वादी अधिवक्ता की बहस तहसीलदार रिपोर्ट पर सुनी गई।

तहसीलदार आमेर की ओर से वस्तु स्थिति/मौका स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि प्रकरणाधीन उल्लेखित भूमि वादग्रस्त ख.नं. 860 रकबा 0.08 है. वाके ग्राम दौलतपुरा वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसा ख.नं. 860/1 रकबा 0.04 है. के रूप में प्रतिवादीगण के नाम तथा ख.नं. 860/2 रकबा 0.04 है. के रूप में वादी रामसुखदास पुत्र भूरादास के नाम गै.मु.श्मशान के रूप में दर्ज (अंकित) है तथा मौका पर 2 बहुत पुरानी मुमटीयाँ बनी हुई है तथा मौके पर भूमि खाली है। उक्त संदर्भ में दौराने सुनवाई/बहस अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकारोक्ति व्यक्त की गई है तथा प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट का कोई मान्य/औपचारिक खंडन मात्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः चूंकि प्रकरणाधीन उल्लेखित वादगस्त भूमि आ.ख. नं. 860 रकबा 0.08 है. हाल राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण के अपेक्षित अनुतोष अनुसार ख.नं. 860/2 रकबा 0.04 है. किस्म गै.मु.श्मशान के रूप में वादी के नाम दर्ज की जा चुकी है। जिसके क्रम/संदर्भ में कोई अग्रिम कार्यवाही/उज्र आपत्ति अथवा कोई मान्य खंडन/प्रतिरोध वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जाकर वादी पक्ष अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकारोक्त व्यक्त की गई है। जिससे वाद पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने से वाद वादीगण अब सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:32 IST
Reason: SelfAttested